

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2017

विषय:- श्री इन्द्रासन वर्मा, पी0सी0एस0-2007 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री इन्द्रासन वर्मा, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2016 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री इन्द्रासन वर्मा, से0नि0, पी0सी0एस0, पता-ए-3, प्रताप नगर, विजय नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226023 को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-92/2017/3014/दो-2-2017-28/2(33)/2017

लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2017

आदेश

श्री इन्द्रासन वर्मा, पी0सी0एस0 ने अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-69911 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री इन्द्रासन वर्मा, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-25/मिलान डायरी-354/67221/77330 दिनांक 05-01-2017 के अनुसार वर्ष 2014-2015 तक कुल जमा धनराशि रू0-15,82,540-00 (रूपये पन्द्रह लाख बयासी हजार पाँच सौ चालीस मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-13,74,286.60 अर्थात् रू0-13,74,287.00 (रूपये तेरह लाख चौहत्तर हजार दो सौ सत्तासी मात्र) होती है, के भुगतान किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-4ए0जी057/दस-84-510/84 दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किये जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री इन्द्रासन वर्मा, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी

विशेष सचिव ।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री इन्द्रासन वर्मा, पी0सी0एस0 के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करने का कष्ट करें।
- 3- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।
- 4- श्री इन्द्रासन वर्मा, से0नि0, पी0सी0एस0, पता-ए-3, प्रताप नगर, विजय नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226023 ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।